(187)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2328–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील उज्जैन प्रकरण कमांक 2/अ–13/15–16.

---

रेशमबाई विधवा नवल सिंह
निवासी ग्राम केसुनी
तहसील व जिला उज्जैन .....आवेदिका

**विरूद्ध**

1– राजेश पिता देवनारायण
2– विजय पिता देवनारायण
निवासीगण ग्राम ग्राम केसुनी
तहसील व जिला उज्जैन
3– म0प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार, उज्जैन .....अनावेदकगण

---

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदिका
श्री सुरेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 29/11/18 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 विजय के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम केसुनी तहसील व जिला उज्जैन स्थित भूमि पुराना सर्वे कमांक 96 नया सर्वे कमांक 58/2 रकबा 1.030 हेक्टेयर है । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 1 राजेश के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पुराना सर्वे कमांक 96 नया सर्वे कमांक 58/1 रकबा 1.10 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर आने जाने के लिये वे अपने पूर्वजों के समय से एकमात्र रास्ता जो कि पुराना सर्वे कमांक 93 नया सर्वे कमांक 53 से होकर शासकीय रास्ता है, का उपयोग करते थे । उक्त रास्ते का आवेदिका द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–3/15–16 दर्ज कर दिनांक 11–7–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय से न्याय नहीं मिलने के कारण आवेदिका द्वारा प्रकरण स्थानांतरण हेतु अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और चूंकि अपर आयुक्त का पद रिक्त था, इसलिए उसके द्वारा आवेदन पत्र की प्रति का अवलोकन तहसील न्यायालय को कराया गया, और वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन लाने हेतु तहसील न्यायालय से दिनांक 11–7–2016 को एक अवसर चाहा गया, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की नीयत से उसी दिन बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26–6–2016 को अनावेदकगण के कहने पर स्थल निरीक्षण किया गया है, जबकि उस दिन रविवार होकर शासकीय अवकाश

था, और शासकीय अवकाश के दिन न्यायालयीन कार्यवाही करना विधिसंगत नही है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का नायब तहसीलदार द्वारा अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर निरस्त किया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में अनावेदकगण द्वारा कैलाश से समझौता कर रास्ता प्राप्त कर लिया गया था, अतः दोबारा नवीन रास्ता देने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदिका को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण करने में आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना उसके पीठ पीछे स्थल निरीक्षण किया गया है । स्थल निरीक्षण पंचनामा से यह भी स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ते के चिन्ह नहीं पाये गये हैं । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह भी है कि पूर्व में अनावेदक द्वारा सर्वे कमांक 52 में से मार्ग चाहा गया था, जिसके संबंध में तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित हुआ और प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक एवं कैलाश आदि के मध्य समझौता होकर सर्वे कमांक 52 में से आने–जाने का रास्ता स्वीकार किया गया है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि

अनावेदक के लिये मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि में से रास्ता दिया गया है जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की है। अतः तहसीलदार का आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर